निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड दिनांक 24.06.2022

प्रकरण संख्या : 35 / दावा / 19 तारीख दायरा :–30.05.2019

उनवान

प्रभूलाल वल्द देवलाल जाति कुम्हार निवासी मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना।

बनाम

राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

वाद धारा 88/89/91/188 राज0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक 24.06.2022

उपस्थिति :– कैलाशचन्द वैष्णव वकील वादी

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 रा0टी0एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना के मेल मे खसरा नम्बर 526 की 50 बिधा 13 बिस्वा आराजी सरकार के खाते दर्ज है। वर्णित आराजी मे से 1 बीघा 8 बिस्वा आराजी पर वादी का करीब 50 साल से लगातार निरन्तर निर्बिरोध बइल्म प्रतिवादी का कब्जा चला आ रहा है और वादी उपरोक्त आराजी को काश्त करता फसल का लाभ उठाता चला आ रहा है। वर्णित आराजी मे से 1 बीघा 8 बिस्वा आराजी पर वादी का करीब 50 साल से आज तक निरन्तर कब्जे काश्त मे होने से वादी को कब्जा मुखालफाना के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है और उपरोक्त कब्जे काश्त की आराजी को वादी अपने खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है। वर्णित आराजी में से कब्जे काश्त की 1 बीघा 8 बिस्वा आराजी अपने खाते दर्ज करवाने बाबत अथवा नियमन एलोट करने बाबत कई बार कहा लेकिन वह टालमटोल करता रहा। अन्तिम बार दिनांक 05.01.2004 को खाते दर्ज करवाने या एलोट किये जाने बाबत कहा तो वह इन्कार हो गये और वादी को आराजीयान पर से बेदखल करने की धमकी दी है। इस कारण से वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अतः वर्णित आराजी ग्राम मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना के मेल मे खसरा नम्बर 526 की 50 बिधा 13 बिस्वा आराजी में से 1 बीघा 8 बिस्वा आराजी का वादी को खातेदार टीनेन्ट घोषित फरमाया जावे और वादी का नाम रेवेन्यू रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे, प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह वाद में वर्णित आराजी में से 1 बीघा 8 बिस्वा पर से वादी को बेदखल नहीं करे और ना ही जबरन कब्जा करे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि वर्णित भूमि कब्जा मनोहरथाना की के आबादी भूमि के मध्य की भूमि है जो मजरा किशनपुरा की नई बस्ती एवं कालीखार नदी पुलिया के पास रोड से लगवा भूमि है जो ग्राम के विकास हेतु बड़े महत्व की किमती भूमि है। चरागाह होने से ग्राम सभा की सर्वसम्मति से ही नियम की कार्यवाही शुरू की जा

कती है। चरागाह भूमि को आवंटन करने के नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। अतः वादी वाद खारिज फरमाया जावे।

दावा व जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार हैः–

1 आया वादी ग्राम मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना के खसरा नम्बर 526 की 50 बीघा 13 बिस्वा आराजी मे से 1 बीघा 8 बिस्वा आराजी का खातेदार टीनेन्ट घोषित होने योग्य है।

– वादी

2 आया खसरा नम्बर 526 की 50 बीघा 13 बिस्वा आराजी मे से 1 बीघा 8 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादी जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। **– वादी**

3 आया ख0न0 526 की 50 बीघा 13 बिस्वा आराजी मे से 1 बीघा 8 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादी कब्जा कर ले तो वादी कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

– वादी

4 आया ख0न0 526 की 50 बीघा 13 बिस्वा आराजी मे से 1 बीघा 8 बिस्वा आराजी राजस्व रिकार्ड मे चरागाह एवं सार्वजनिक भूमि है जिसे कब्जा मखालफाना के आधार पर वादी को खातेदार घोषित नही किया जा सकता।

– प्रतिवादी

5 दादरसी अस्वीकार है। **– प्रतिवादी**

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता अन्य की बहस पर मनन करने के पश्चात् निम्न प्रकार तनकीवार विवेचन किया जाता हैः–

तनकी न0 4 – यह तनकी कानूनी होने के कारण इसको प्रारम्भिक तनकी के रूप मे निर्णय उपरान्त ही अन्य तनकी पर विचार किया जाना उचित है, चुंकि वर्णित आराजी ग्राम मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना के खसरा नम्बर 526 की 50 बीघा 13 बिस्वा आराजी मे से 1 बीघा 8 बिस्वा चरागाह भूमि है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है जिसपर खातेदारी अधिकार कब्जा मुखालफाना या अन्य प्रकार से प्राप्त होने का कानून मे कोई प्रावधान नही है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष मे और वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी न0 1, 2, 3 व 5 – तनकी नम्बर 4 कानूनी होने से उसका निर्णय विरूद्व वादी होने से उक्त अन्य तनकी पर फैसला दिया जाना उचित नही है। अतः यह सभी तनकीया इसी प्रकार फैसल की जाती हैं

उक्त तनकीयात के विवेचन के आधार पर दावा वादी खारिज किया जाता है। डिकी जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 को सरे इजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

डिक्री मुकदमात इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

[न्याय]ालय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला [झा]लावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 24/06/2022

[प्रक]रण सख्या : 35/दावा/19 तारीख दायरा :–30.05.2019

उनवान

[…]मूलाल वल्द देवलाल जाति कुम्हार निवासी मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला [झ]ालावाड राजस्थान

बनाम

[रा]जस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान

<u>वाद धारा 88/82/91/188 राज0 टी0 एक्ट</u>

आज यह मुकद्मा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ **अभिषेक [चा]रण** (आर0ए0एस0) बहाजरी वकील वादी श्री कैलाश चन्द वैष्णव मिन जानिब मुद्दालय ------ ने पेश होकर आदेश दिया जाता है किः–

दावा वादी खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 24.06.2022 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांक से जारी कि[या ग]ई।

(श्री अभिषेक चारण आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़